



भारत सरकार
MINISTRY OF DEFENCE



छावनी परिषद, अम्बाला
AMBALA CANTONMENT BOARD
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF DEFENCE, GOVT OF INDIA
229, रेस कोर्स रोड, अम्बाला छावनी,
हरियाणा-133001

75
आजादी का
अमृत महोत्सव



दूरभाष: 0171-2642026, 0171-2634795, ई-मेल: ceoamba-stats@nic.in, वेबसाइट: ambala.cantt.gov.in

Dated: 16/06/2025

ESTABLISHMENT CERTIFICATE

The Cantonment Board, Ambala (LGD Code 277303) is a local authority/municipal body (Article 243P of the Constitution) governed by Cantonment Act, 2006 under Ministry of Defence, Govt. of India. The Cantonment Board, Ambala own & managed **Cantonment Board Middle School, BC Bazar, Ambala Cantt.** The establishment detail of the same is as under:

Year	Particulars	Details
Before 1953	Establishment	Primary School
2025	Upgradation	Middle School vide CBR No. 02 Dated 26.03.2025

Verified
Prakash
C.B. Middle School
B.C. Bazar
Ambala Cantt.

Prem Kumar Dhamija
Prem Kumar Dhamija
Office Supdt.
Cantonment Board, Ambala

कार्यालय अधीक्षक
छावनी परिषद, अम्बाला
Office Supdt.
Cantt. Board, Ambala

A. Sharma
Rahul Anand Sharma, IDES
Chief Executive Officer
Cantonment Board, Ambala
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, अम्बाला
Chief Executive Officer
Cantt. Board, Ambala



GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

Directorate of Elementary Education / मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryeps@gmail.com - Site: www.harprathamik.gov.in

ई-मेल
सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला व
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अम्बाला।

यादी क्रमांक- 33/30-2022 पी0एस0 (ई0-1)
दिनांक पंचकूला :- 03.03.2023

विषय:- अमान्यता प्राप्त निजी विद्यालय (Roots Public, Top Khana Bazar) बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक जी-II/2021/2067, दिनांक 31.03.2022 के तहत Cantonment Board Ambala Cantt. द्वारा चलाये जा रहे 06 स्कूलों में से Roots Public School, Top Khana Bazar के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी, छावनी परिषद अम्बाला के पत्र क्रमांक ACB/OS/2022/373, दिनांक 29.03.2022 से प्राप्त मूल मामला कार्यवाही हेतु निदेशालय में प्राप्त हुआ।

मामले में छावनी बोर्ड अम्बाला एक वैधानिक निकाय है जो कि छावनी अधिनियम, 2006 (पूर्व छावनी अधिनियम, 1924) के तहत गठित है तथा जिसका पूर्ण कार्य रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण व देखरेख में किया जा रहा है जो कि RTE Act-2009 के अध्याय-I के (2) (b) के अंतर्गत Local Authority के तहत कवर होता है तथा RTE Act-2009 के अध्याय-IV के (18) (1) के अंतर्गत Cantonment Board द्वारा संचालित स्कूलों को विभाग से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि RTE Act 2009 को लागू करने की जिम्मेदारी उन्हें भी प्रदान की गई है।

अतः छावनी परिषद, अम्बाला द्वारा संचालित Roots Public School और अन्य Cantonment Board विद्यालयों को Local Body Schools/ Local Govt. Schools का दर्जा प्रदान करते हुए List of Central Govt. Schools में शामिल करें।

03/03/2023
अधीक्षक पी0एस0(ई0),

कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-

दिनांक, पंचकूला-

इसकी एक प्रति, निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
2. मुख्य कार्यकारी, छावनी परिषद अम्बाला।
3. उपनिदेशक, आई.टी.सैल।
4. अधीक्षक, प्राईवेट स्कूल शाखा कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

Principal
C.B. Middle School
B.C. Bazar
Ambala Cantt.

अधीक्षक पी0एस0(ई0),
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।